न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 2824 / 2004 / धौलपुर

1—सलीम पुत्र रसूला
2—बाईसा पुत्र बसीराखॉ
3—मुन्ना पुत्र बसीरा
जाति मुसलमान निवासी राजाखेडा जिला धौलपुर राजस्थान
—अपीलांटस

बनाम

1— बाबूलाल पुत्र विधिचन्द (फोत) जरिये विधिक वारिसानः—
1 / 1—रामसेवक,
1 / 2—मुरारीलाल
1 / 3—महेश
1 / 4—विनोद
1 / 5—प्रमोद उर्फ पम्मी
पुत्रगण स्व0 श्री बाबूलाल निवासी कस्बा राजाखेडा जिला धौलपुर
2— जिला कलक्टर धौलपुर
3— तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर
—रेस्पोडेंटस

खण्ड पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री सूरज भान जैमन, सदस्य

उपस्थितः—
(1) श्री खडगसिंह अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
(2) बाबूलाल पुत्र विधि चन्द के वारिसान की ओर से कोई उपस्थित नही होने से इकतरफा कार्यवाही की गयी।
(3)श्री वी0पी0सिंह राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2,3

निर्णय

दिनांक : 01—08—2018

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 29—5—2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्याएक बाबूलाल ने सहायक कलक्टर मु. राजाखेडा के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया कि सा0ख0नं0 4051 / 4061 रकबा 1 बीघा वाके कस्बा राजाखेडा का वह खातेदार काश्तकार था जिसमें से 2 बिस्वा कस्बा सडक में चला गया। हाल खसरा नंबर 4131 / 3132 बनाये गये है जिसमे वादी के साबिक खसरा नंबर का 15 बिस्वा रकबा ही लिया है शेष 3 बिस्वा रकबे पर काबिज है। अतः प्रतिवादी जबरन वादी को बेदखल करने पर अमादा है। अतः वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादी / अपीलांट ने उक्त वाद का जबाव पेश कर दावा को खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने दाव में तनकीयात कायम कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24—4—20000 को दावा वादी साबित नही होने से निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध वादी ने प्रथम अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष पेश की, जिन्होने अपने निर्णय दिनांक 29—5—2004 द्वारा अपील ऑशिक तौर पर स्वीकार करते हुए अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24—4—2000 को निरस्त कर प्रकरणको उन्हे इस निर्देशके साथ प्रतिप्रेषित करदियाकि वे अपीलांट का रकबा किस खसरा नंबर में मिला है, हाल व साबिक मिलान कर अपीलांट को रकबा दिलाया जावे। जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3— अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5— विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य तर्क यह दिया है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेंट बाबूलाल के नही होने पर उसकी ओर से कोई भी साक्ष्य पेश नही की गयी थी ऐसी स्थिति में बाबूलाल का दावा परीक्षण न्यायालय ने सही प्रकार से ही खारिज किया था लेकिन विद्वान राजस्व अपील

प्राधिकारी ने बिना किसी साक्ष्य व सबूत के यह मानने में कि बाबूलाल का रकबा सडक में चला गया तथा उसका रकबा 18 बिस्वा ही रह गया, बन्दोबस्त विभाग ने 12 बिस्वा रकबा दिया जबकि उसका 15 विस्वा रकबा बनना चाहिए। इस प्रकार विद्वान अपील अधिकारी ने नई फाइण्डिग देकर बिना किसी साक्ष्य व प्रावधान के रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत अपील को ऑशिक तौर पर स्वीकार कर प्रकरण को अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय को 3 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंटें को दिलाने हेतु प्रतिप्रेषित कर कानूनी त्रुटि की है। उनका दौराने बहस यह भी तर्क रहा है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने जबावदावा के मद संख्या तीन में यह अंकित किया है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 4131 व 4132 के पास ही गैर मुमकिन कब्रिस्तान की भूमि खसरा नंबर 4139 व 4140 मिले हुए है। वादी / बाबूलाल जबरन धीरे धीरे कब्रों को खोद कर और कब्रिस्तान की भूमि को अपने खेतों में मिलाने की फिराक में है। उनका आगे तर्क है कि विद्वान राजस्व अपील अधिकारी ने किसी भी तनकी पर अपना निर्णय पारित नही किया है जो गैरकानूनी है। अन्त में अपील स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–5–04 निरस्त कर सहायक कलक्टर राजाखेडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 24–4–2000 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6– इसके विपरीत विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपीलांट की ओर से की गयी बहस का खण्डन किया और बताया कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर है, जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही है। अन्त में अपील खारिज करने का निवेदन किया।

7– हमने उभयपक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी / बाबूलाल की ओर से प्रस्तुत वाद में अधीनस्थ

परीक्षण न्यायालय ने दावे व जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए व उन पर विस्तृत विवेचन कर दावा को खारिज किया है। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में वादी/बाबूलाल द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्यों को मौखिक साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध नही किया है और ना ही वादी स्वयं बयान हेतु उपस्थित हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी सं0 2019 से 2022 के अनुसार वादी बाबूलाल साविक खसरा नंबर 4051 व 4061/1 रकबा 18 बिस्वा का खातेदार काश्तकार दर्ज है । चूँकि उक्त खसरा नम्बर में से 2 बिस्वा रकबा सडक में निकल जाने से वादी साबिक रकबा 18बिस्वा का खातेदार रह गया। चूकि साबिक नम्बरान के हाल नम्बरान 4131, 3132 रकबा 12 बिस्वा कायम किया है जो कि वास्तव में 15 बिस्वा रकवा ही होना चाहिए था। नकल मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि साबिक खसरा नंबर 4051 व 4061 का कुल रकबा 15 बिस्वा दर्ज है जिसका कि वर्तमान में रकबा 12 बिस्वा खसरा नंबर 4131 व 4132 के रुप में आया है जो कि सही है। जहॉ तक शेष साबिक रकबा 3 बिस्वा का प्रश्न है, साबिक नम्बर सैटलमेंट द्वारा निर्मित किया है उसका रकबा किस वर्तमान नंबर में मिला है , वादी किसी भी दस्तावेज से सिद्ध नही कर पाया है। वादी मौके पर 15 बिस्वा भूमि पर ही काबिज है । इसके बावजूद भी वह कब्रिस्तान के खसरा नंबर 4131 व 4132 जो कि उसके खेत से सटे हुए है की भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयास में है। अतः कब्रिस्तान की भूमि पर वह खातेदारी प्राप्त नही कर सकता। ऐसीस्थिति में अपीलांट जो 3 बिस्वा भूमि बावत खातेदारी चाह रहा है, संभव नही है। उक्त सभी तथ्यों पर गौर करते हुए हुए ही विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है जो उचित व कानून सम्मत है । लेकिन विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–5–2004 में जो फाइण्डिग देकर प्रकरण को

पुनः निर्णय हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है , तथ्यो व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। फलस्वरुप यह द्वितीय अपील निराधार होने से खारिज योग्य है। 8— परिणाम स्वरुप यह यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29—5—2004 निरस्त किया जाकर सहायक कलक्टर धौलपुर मुख्यालय राजाखेडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24—4—2000 यथावत रखे जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरज भान जैमन) (वी.श्रीनिवास)

सदस्य अध्यक्ष

ऐसी स्थिति में विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी के दावे को स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं कानूनी त्रुटि नही है। जिसकी प्रथम अपील विद्वान अपील अधिकारी के समक्ष पेश होने पर उन्होने भी अपने सारगर्भित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–1–14 के द्वारा अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4–4–11 को यथावत रखा गया है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री समवर्ती है, जिनमें हम हस्तगत द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। परिणामस्वप हस्तगत द्वितीय अपील सारीहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–1–14 एवं उपखण्ड अधिकारी बानसूर (अलवर) द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4–4–2011 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्यामलाल गुर्जर)
सदस्य

(प्रियव्रत पंड्या)
सदस्य

अपील / डिक्री / टीए / 2824 / 2004 / धौलपुर

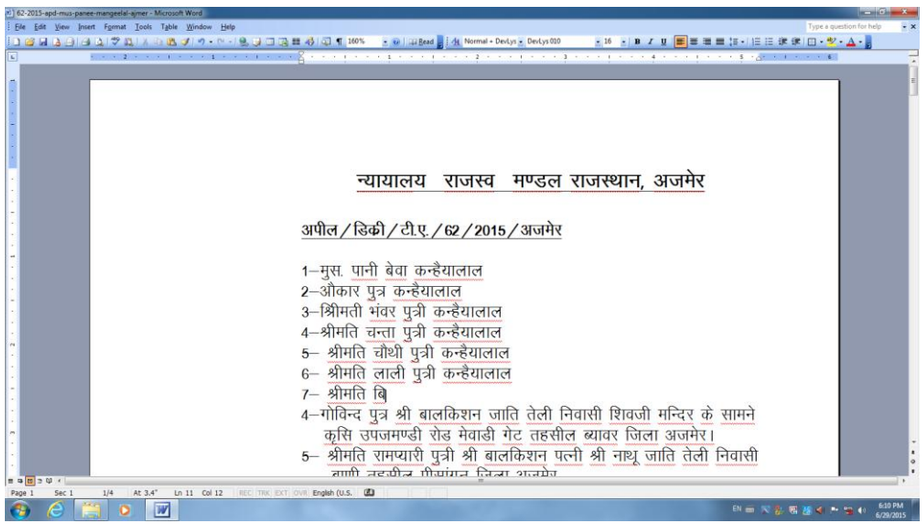

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टी.ए. / 62 / 2015 / अजमेर

1–मुस. पानी बेवा कन्हैयालाल
2–ओकार पुत्र कन्हैयालाल
3–श्रीमती भंवर पुत्री कन्हैयालाल
4–श्रीमति चन्ता पुत्री कन्हैयालाल
5– श्रीमति चौथी पुत्री कन्हैयालाल
6– श्रीमति लाली पुत्री कन्हैयालाल
7– श्रीमति बि
4–गोविन्द पुत्र श्री बालकिशन जाति तेली निवासी शिवजी मन्दिर के सामने
कूसि उपजमण्डी रोड मेवाडी गेट तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
5– श्रीमति रामप्यारी पुत्री श्री बालकिशन पत्नी श्री नाथू जाति तेली निवासी

बनाम

श्री अशोक कुमार,सदस्य
श्री बी. एस. गर्ग, सदस्य

उपस्थितः–
(1)श्री शान्तीप्रकाश ओझा अधिवक्ता अपीलांट।
(2)श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(3)श्री के.के. पुरोहित, अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से
(4)श्री अशोक नाथ अधिवक्ता रैस्पो. की ओर से

(5)श्री एस.के. सेठी अधिववक्ता रैस्पो. की ओर से

निर्णय

दिनांकः जुलाई, 2015

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–1–10 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है जिसके व्दारा उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–08 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 3/09 उनवानी माधु आदि बनाम गोविन्द आदि को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकरी, ब्यावर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–10–08 निरस्त किया जाकर वाद वादी संख्या 77/08 को स्वीकार किया गया है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण /रैस्पो. संख्या 1ता 4 ने एक दावा संख्या 33/07 अन्तर्गत धारा 53–183–188 आरटीए उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधो आदि ने उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि साबिक खसरा नम्बर 13 से बने हाल खसरा नम्बर 35 की 2.04.10 बीघा भूमि (अपील में विवादित आराजी कहा जावेगा) वादीगण के पूर्वज मोडालाल पुत्र सूरजमल थे, जिसकी मृत्यु के बाद यह आराजी उसके पुत्र ईश्वरचन्द को प्राप्त हुयी और ईश्वरचन्द की मृत्युके बाद विवादित आराजी उसके पुत्र छोटूलाल को प्राप्त हुई और छोटूलाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र बल्देव को प्राप्त हुई। बल्देव के दो पुत्र ख्याली व चुन्नीलाल हुए। वादीगण चुन्नीलाल के उत्तराधिकारी है। ख्याली के एक पुत्र बालशिन हुआ। बालकिशन के प्रतिवादी संख्या 1से 7 उत्तराधिकारी हुए। राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम से अंकित है। प्रतिवादीगण का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा नही रहा । विवादित आराजी पर हमेशा से ही कजा वादीगण का चला आ रहा है। वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पूर्ण विवादित आराजी के खातेदार हो चुके है। विकल्प में निवेदन किया कि बल्देव की मृत्यु के बाद भूमि ख्याली व चुन्नीलाल को प्राप्त हुई थी, परन्तु राजस्व रिकार्ड में केवल प्रतिवादीगण का नाम ही अंकित है। विकल्प के रुप में यह अनुतोश मांगा कि वादीगण 1/2 हि. जो विरासत में चुन्नीलाल को प्राप्त होनी थी ,का खातेदार काश्तकार घोसित किया जावे। विवादित आराजी की राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती की जाकर वीदगण के नाम का अंकन किया जावे तथा 1/2 हि. का विभाजन कर कब्जा दिलवाया जावे। प्रतिवादीगण /रैस्पो. अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण ने दिनांक 21–7–07 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण/रैस्पे0 संख्या 1–4व्दारा प्रस्तुत दावे में दावे के आधार दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं तथा विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता बालकिशन व्दारा जरिये रजि. विक्रय पत्र क्रय की गयी है,जिसमें वादीगण का कोई हक व अधिकार नही है। दावे के आधार दस्तावेज पेश नही होने के कारण दावा संधारण योग्य नही है, इसलिए दावा खारिज किया जावे। प्रार्थना पात्र का वादीगण/रैस्पोडेंटस ने जबाव पेश किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–8–07 व्दारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद

वादी खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14–8–07 के विरुद्ध वादीगण / रैस्पो0 1ता4 ने प्रथम अपील संख्या 199 / 07 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–1–08 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय व्दारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–8–07 खारिज कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेसित कर दिया कि वाद में तनकी कायम कर दोनो पुक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे। रिमाण्ड प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्राप्त होने पर दावा संख्या 17 / 08 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधू आदि दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही प्रारंभ की व अपने निर्णय व डिक्री दिनांक दिनांक 21–10–08 व्दारा दावा खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–08 के विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 3 / 09 उनवानी गोविन्द आदि बनाम माधु आदि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–5–10 व्दारा अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–10–08 खारिज कर दिया तथा वादी वादी स्वीकार कर वादीगण / रैस्पो. को 1 / 2 हि. का खातेदार काश्तकार घोसित कर दिया। तथा परीक्षण न्यायालय को विभाजन कार्यवाही करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेसित कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–5–10 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्षीय अधिवक्तागण की अपील गुणावगुण पर बहस सुनी गयी।

9– अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 16–4–2009 में कोई त्रुटि नहीं पाते, लिहाजा, अपील खारिज की जाती है और प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–4–2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. एस. गर्ग)
सदस्य

(अशोक कुमार सांवरिया)
सदस्य